

Under Public Relations  
(Exercise of) authorities

पत्रिका सं. बी.एस.-33004/95

REGD. NO. D.L.-33004/95

Occupants/1/1/1971



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिपक्षार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308 ]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 1995/आषाढ़ 29, 1917

No. 308 ]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 1995/ASADHA 29, 1917

गृह मंत्रालय

अधिपूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1995

सा. का. नि. 352 [अ.]-केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान [अप्राधिकृत अधिभोगियों की देखरेख] अधिनियम, 1971 [1971 का 40] की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ [1] में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की शक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्मवा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ [2] में तत्स्थानीय प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्मवा अधिकारी को प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन अपनी-अपनी अधिकारीता की स्थानीय सीमाओं के भीतर करेगे।

सारणी

अधिकारी का पदनाम

सरकारी स्थान का प्रवर्ग और अधिकारीता की स्थानीय सीमाएं

[1]

[2]

[क] महानिरीक्षण कमांडेंट स्टाफ,  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बलनई दिल्ली/दिल्ली की स्थानीय  
सीमाओं के भीतर स्थित भारत तिब्बत  
सीमा पुलिस बल के प्रशासनिक नियंत्रण/  
निपटान के अधीन परिचर।

सि. सेक्टर मुख्यालय कमांडेंट स्टाफ,  
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल

सि. भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल  
एकको के एडजुटेंट

सेक्टर मुख्यालय की स्थानीय सीमाजो  
के भीतर स्थित भारत तिब्बत सीमा  
पुलिस बल के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन  
परिसर ।

अपने-अपने एकको की स्थानीय सीमाजो  
के भीतर स्थित भारत तिब्बत सीमा  
पुलिस बल के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन  
परिसर ।

[स. आर्. 45011/18/95-जे.से.जी.सि.माईटीपीएफ]  
एस. के. स्वामी, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 1995

G.S.R. 552(E).--In exercise of the powers conferred by section 3 of the public premises (Eviction of Unauthorised occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officer equivalent to the rank of gazetted officers of Government, to be estate officers for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the said act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the Public Premises specified in the corresponding entries in Column (2) of the said Table :--

TABLE

Designation of the Officer	Categories of Public Premises and local limits jurisdiction
(a) Commandant Staff of Directorate General, ITB Police Force	Premises under the administrative Control/disposal of Indo-Tibetan Border Police Force situated within the local limits of New Delhi/Delhi.
(b) Commandant Staff of Sector HQrs, ITB Police Force	Premises under the administrative control of Indo-Tibetan Border Police Force situated within the local limits of Sector HQrs.
(c) Adjutant of the ITB Police Force Units	Premises under the administrative control of Indo-Tibetan Border Police Force situated within the local limits of respective units.

[No. I. 45011/18/95-JAG(ITBPF)]  
S. K. SWAMI, Dy. Secy.